

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 32

राज्यों को अंतरण

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	54071.52	62138.31	116209.83	23500.00	89189.52	112689.52	15950.00	90728.52	106678.52	12350.00	100646.36	112996.36
पूँजी	11897.32	...	11897.32	12500.00	...	12500.00	12500.00	...	12500.00	12500.00	...	12500.00
जोड़	65968.84	62138.31	128107.15	36000.00	89189.52	125189.52	28450.00	90728.52	119178.52	24850.00	100646.36	125496.36
ब.अ. 2016-2017												
1. आयोजना अनुदान												
1.01 विशेष सहायता	3601	9000.00	...	9000.00
1.02 स्वायत्त परिषदों और संविधान के छठी अनुसूची में कवल किए गए क्षेत्रों को अनुदान	3601	1000.00	...	1000.00
1.03 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (अनुदान)	3601	2350.00	...	2350.00
1.04 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ब्लॉक ऋण)	7601	12500.00	...	12500.00
जोड़- आयोजना अनुदान	24850.00	...	24850.00
2. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान												
2.01 पञ्च अंतरण राजस्व घाटा अनुदान	3601	41308.00	41308.00
2.02 राज्य आपदा अनुक्रिया निधि को सहायता अनुदान	3601	10470.00	10470.00
2.03 स्थानीय निकायों हेतु अनुदान
2.03.01 ग्रामीण निकाय	3601	33870.52	33870.52
2.03.02 शहरी निकाय	3601	14997.84	14997.84
जोड़- स्थानीय निकायों हेतु अनुदान	48868.36	48868.36
जोड़- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	100646.36	100646.36
3. अर्थोपाय अग्रिम												
3.01 अदायगियां	7601	100.00	100.00
3.02 घटाए-वर्ष के दौरान वसूलियां	7601	-100.00	-100.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
<i>कुल</i>
राज्य तथा संघशासित क्षेत्र की सरकारों को ऋण तथा अग्रिम योजना - भिन्न अनुदान												
4. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरण	2245	6450.00	6450.00
4.01 घटाइए-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (सीमा शुल्क)	0037	-1550.00	-1550.00
4.02 घटाइए-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-4900.00	-4900.00
<i>कुल</i>
5. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से राज्यों को सहायता	2245	6450.00	6450.00
5.01 घटाइए-एनसीसीएफ/एनडीआरएफ से अंतरण द्वारा पूरी की गई राशि	2245	-6450.00	-6450.00
<i>कुल</i>
सं.अ. 2015-2016												
6. विशेष सहायता	3601	20000.00	...	20000.00	12450.00	...	12450.00
राज्य/संघशासित क्षेत्र को अनुदान योजना - भिन्न अनुदान												
7. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान												
7.01 पञ्च अंतरण राजस्व घाटा अनुदान	3601	48906.00	48906.00	...	48906.00	48906.00
7.02 राज्य आपदा अनुक्रिया निधि हेतु सहायता अनुदान	3601	9971.00	9971.00	...	8521.00	8521.00
7.03 स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	3601	...	22399.13	22399.13
7.03.01 ग्रामीण निकाय	3601	21624.46	21624.46	...	21624.46	21624.46
7.03.02 शहरी निकाय	3601	8363.06	8363.06	...	8363.06	8363.06
<i>जोड़- स्थानीय निकायों के लिए अनुदान</i>	22399.13	22399.13	...	29987.52	...	29987.52	29987.52
7.04 राजस्व खाते में घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान	3601	...	7550.00	7550.00
7.06 सड़क और पुलों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान	3601	...	5955.90	5955.90
7.07 राज्य की विशिष्ट जरूरतों के लिए सहायता अनुदान	3601	...	6397.02	6397.02
7.08 राज्य आपदा रिस्पांस निधि (एसडीआरएफ) (क्षमता निर्माण	3601	...	5765.44	5765.44

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
सहित) के लिए सहायता अनुदान												
7.09 पर्यावरण के लिए सहायता अनुदान	3601	...	6313.19	6313.19
7.10 अभिशासन के लिए सहायता अनुदान	3601	...	2784.63	2784.63
7.11 प्रारंभिक शिक्षा के लिए सहायता अनुदान	3601	...	4648.00	4648.00
जोड़- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान		...	61813.31	61813.31	...	88864.52	88864.52	...	87414.52	87414.52
8. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केन्द्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के एवज में अनुदान	3602	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00
जोड़-योजना - भिन्न अनुदान		...	62138.31	62138.31	...	89189.52	89189.52	...	87739.52	87739.52
जोड़-राज्य/संघशासित क्षेत्र को अनुदान		...	62138.31	62138.31	...	89189.52	89189.52	...	87739.52	87739.52
राज्य तथा संघशासित क्षेत्र की सरकारों को ऋण तथा अग्रिम योजना - भिन्न अनुदान												
9. अर्थोपाय अग्रिम												
9.01 अदायगियां	7601	100.00	100.00	...	100.00	100.00
9.02 घटाइए - वर्ष के दौरान वसूलियां	7601	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00
कुल	
राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान/ऋण												
10. एकमुश्त अनुदान												
10.01 सामान्य केन्द्रीय सहायता	3601	25470.34	...	25470.34
10.02 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	3039.32	...	3039.32	3500.00	...	3500.00	3500.00	...	3500.00
10.03 अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	507.86	...	507.86
10.04 विशेष केन्द्रीय सहायता	3601	9671.00	...	9671.00
10.05 विशेष केन्द्रीय सहायता - पर्वतीय क्षेत्र	3601	220.00	...	220.00
10.06 विशेष योजना सहायता	3601	7287.47	...	7287.47
10.07 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्रवाई योजना (एनईजीएपी)	3601	20.88	...	20.88
10.08 पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि - राज्य संघटक	3601	3039.23	...	3039.23
10.09 एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	1760.00	...	1760.00
10.10 अन्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	3055.42	...	3055.42
जोड़- एकमुश्त अनुदान		54071.52	...	54071.52	3500.00	...	3500.00	3500.00	...	3500.00
11. एकमुश्त ऋण												
11.01 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं	7601	11897.32	...	11897.32	12500.00	...	12500.00	12500.00	...	12500.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता													
जोड़-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान/ऋण	65968.84	...	65968.84	16000.00	...	16000.00	16000.00	...	16000.00	
राष्ट्रीय आपदाओं के कारण राहत													
12. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण / राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि में अंतरण (एनडीआरएफ)	2245	...	3460.88	3460.88	...	5690.00	5690.00	...	8899.00	8899.00	
12.01 घटाइए-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (कस्टम)	0037	...	-976.83	-976.83	...	-1640.00	-1640.00	...	-1410.00	-1410.00	
12.02 घटाइए-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (केन्द्रीय आवकारी)	0038	...	-2484.05	-2484.05	...	-4050.00	-4050.00	...	-4500.00	-4500.00	
<i>कुल</i>		2989.00	2989.00	
13. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता / राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एनडीआरएफ) से राज्यों को सहायता	2245	...	3460.88	3460.88	...	5690.00	5690.00	...	5910.00	5910.00	
13. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता / राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एनडीआरएफ) से राज्यों को सहायता													
13.01 घटाइए-एनसीसीएफ/एनडीआरएफ से अंतरण द्वारा पूरी की गई धनराशि	2245	...	-3460.88	-3460.88	...	-5690.00	-5690.00	...	-5910.00	-5910.00	
जोड़-राष्ट्रीय आपदाओं के कारण राहत		2989.00	2989.00	
14. वास्तविक वसूलियां	2075	
	3601	
<i>जोड़</i>		
कुल जोड़	65968.84	62138.31	128107.15	36000.00	89189.52	125189.52	28450.00	90728.52	119178.52	24850.00	100646.36	125496.36	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. राज्यों को केन्द्रीय आयोजना सहायता	13601	20000.00	...	20000.00	12450.00	...	12450.00	10000.00	...	10000.00
राज्य योजना:													
1. एकमुश्त ऋण	43601	11897.32	...	11897.32	12500.00	...	12500.00	12500.00	...	12500.00	12500.00	...	12500.00
2. एकमुश्त अनुदान	43601	54071.52	...	54071.52	3500.00	...	3500.00	3500.00	...	3500.00	2350.00	...	2350.00
जोड़ - राज्य योजना	65968.84	...	65968.84	16000.00	...	16000.00	16000.00	...	16000.00	14850.00	...	14850.00	
जोड़	65968.84	...	65968.84	36000.00	...	36000.00	28450.00	...	28450.00	24850.00	...	24850.00	

1.01. **विशेष सहायता:** यह प्रावधान क्षेत्र सापेक्ष योजनाओं और परियोजनाओं से संबंधित प्रतिबद्ध देनदारियों जिनके लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद बजट प्रावधान नहीं किया गया था, चिह्नित की गई थी तथा परितर्वनशील सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक कारकों के कारण राज्यों को आवश्यकता आधारित सहायता के लिए है।

1.02. **स्वायत्त निकायों और संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्रों को अनुदान:** यह संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्रों को सहायता होगी क्योंकि ऐसे क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाने के लिए इन्हें चौदहवें वित्त आयोग द्वारा शामिल नहीं किया गया है।

1.03. **राज्यों की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता:** विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता इस मांग के माध्यम से दी जाती है। अप्रैल, 2005 से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विदेशी सहायता के बैंक-टू-बैंक अंतरण की नई प्रणाली प्रारंभ की गई थी जिसके अंतर्गत विदेशी सहायता उन्हीं शर्तों पर सामान्य श्रेणी के राज्यों को प्रदान की जाती है जिन पर यह सहायता दाता एजेंसियों से केंद्र सरकार को प्राप्त होती है। राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए अनुदान घटक हेतु राजस्व भाग के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

1.04. **विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु ब्लाक ऋण:** पूंजी भाग के अंतर्गत राज्यों की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ऋण घटक हेतु धनराशि का प्रावधान।

2. **राज्य सरकारों को अनुदान:** राज्य सरकारों को अनुदानों का अनुमान चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। 2.03 के अंतर्गत प्रावधान में स्थानीय निकायों के लिए मूलभूत और निष्पादन अनुदानें शामिल हैं।

3. **भत्ते और साधन अग्रिम:** यह प्रावधान अल्पावधिक नकदी असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों को सुसाध्य बनाने के लिए अस्थायी अग्रिम के लिए है।

4. **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से राज्यों को सहायता:** 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थापित तत्कालीन राष्ट्रीय आपदा आपात कोष का 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में विलय कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा आपात कोष से एकत्रित धनराशि, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में अंतरित कर दी जाती है तथा राज्यों की सहायता के लिए राज्य के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से पूरक धनराशि प्रदान की जाती है ताकि राज्यों की क्षमता से परे आपदाओं के मामले में तत्काल राहत प्रदान की जा सके।

8. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के बदले अनुदान:** वित्तीय वर्ष 2015-16 तक, यह प्रावधान केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के बदले अनुदान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए मांग सं.37- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण में किया गया है। वर्ष 2016-17 से इसे मांग सं.49- विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण में स्थानांतरित कर दिया गया है।